राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	49/2004 गाडाराम / सोहन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/2/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 9 ने प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/06/2011 को अन्तिम निस्तारण हो चूका है ऐसे में यह अपील सारहीन हो गयी है एवं यह अपील अब चलने योग्य नही है। अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 9 के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एवं मूल वाद की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी/रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	